राजस्थान सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय

परिपत्र

विषयः मंत्रिपरिषद् के सदस्यगण द्वारा विदेश यात्रा के संबंध में दिशा–निर्देश।

इस सचिवालय के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 06.09.2019 के क्रम में मंत्रिपरिषद् के सदस्यगण द्वारा विदेश यात्रा के संबंध में दिशा–निर्देश निम्नानुसार जारी किये जाते है :–

1. मंत्रिपरिषद् के सदस्यगण द्वारा विदेश यात्रा करने हेतु मा0 मुख्यमंत्री महोदय की पूर्वानुमति से ही प्रस्थान किया जाना सुनिश्चित करेंगें।
2. विदेश यात्रा के संबंध में मंत्रिमण्डल सचिवालय, भारत सरकार के ज्ञापन क्रमांक 1/19/1/2015–cab. दिनांक 06.05.2015 एवं वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांकः प. 6(8)वित्त/नियम/2005 दिनांक 13.10.2006, 04.06.2013 व क्रमांक प. 6(3) वित्त (नियम)/2012 दिनांक 18.05.2016 द्वारा जारी दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावें।
3. विदेश यात्रा के प्रस्ताव यात्रा के उद्देश्य विवरण एवं व्यय की पूर्ण समीक्षा से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी के साथ ही प्रेषित किये जावे।
4. विदेश यात्रा से पूर्व आर्थिक मामलात् मंत्रालय एवं विदेश मंत्रालय, भारत सरकार से राजनैतिक एवं FCRA अनुमति (Political & FCRA Clearance) लिया जाना आवश्यक है।
5. भारत सरकार द्वारा बिना पूर्वानुमति के विदेश यात्रा किये जाने को पूर्व में भी गंभीरता से लेते हुए अप्रसन्नता व्यक्त की गई है। संयुक्त सचिव (ए.डी.बी. एण्ड आई), आर्थिक मामलात् मंत्रालय, भारत सरकार की अशा. टीप दिनांक 03.10.2001 के अनुसार दिशा–निर्देशों की आवश्यक रूप से नियमानुसार पूर्ण पालना सुनिश्चित कराते हुए ही यात्रा पर प्रस्थान किया जावे।
6. उक्त वर्णित दिशा–निर्देशों में किसी प्रकार की शिथिलता की आवश्यकता है अथवा अन्य कोई भी भिन्न स्थिति हो तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से पूर्वानुमति प्राप्त कर ही यात्रा पर प्रस्थान किया जाना सुनिश्चित करेंगें।

कृपया उक्त दिशा–निर्देशों की आवश्यक रूप से पालना सुनिश्चित करें।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(जितेन्द्र कुमार उपाध्याय)
शासन सचिव

समस्त विशिष्ठ सहायक/निजी सचिव,
मा0 मंत्री/राज्य मंत्रिगण।

अशा. टीप क्रमांक प.12(1)मं.मं./2002
जयपुर, दिनांक : 22.11.2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव।
3. संयुक्त सचिव (जी.बी), मुख्यमंत्री।
4. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
5. प्रोग्रामर, कम्प्युटर सेल, सामान्य प्रशासन विभाग।

शासन सचिव